

नगर परिषद, झुंझुनू

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JHUNJHUNU/FIRENOC/2025-26/59085

जारी दिनांक: 05-JAN-2026

वैधता दिनांक:

04-JAN-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MAHENDRA SINGH CHOUDHARY

आवेदक का पता: GHASI RAM KA BASS MALISAR DISTT JHUNJHUNU RAJASTHAN.

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन MAHARANI BALIKA MAHAVIDYALAYA, KHASRA NO. 148/128, JHUNJHUNU MALISAR ROAD, RAMPURA, , JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अधिभोगी द्वारा समय पर नवीनीकरण नहीं करवाने की स्थिति में रु. 5000 की शास्ति राशि देय होगी जो अग्निशमन सेवा अनुभाग संबंधित नगरीय निकाय के फायर आवेदन शुल्क खाते में जमा किया जावेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा व निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
3. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
4. भवन का अग्निशमन अधिकारी/ सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
5. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
7. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
8. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
9. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
10. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
11. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र/ अभिशंषा पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
12. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रुफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



अग्निशमन अधिकारी

नगर परिषद, झुंझुनू